



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29012021-224775
CG-DL-E-29012021-224775

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 408]

No. 408]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 29, 2021/माघ 9, 1942

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 29, 2021/MAGHA 9, 1942

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 2021

का.आ. 445(अ).—केन्द्रीय सरकार का समाधान है कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित है कि भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, मैसूर (कर्नाटक) और सालबोनी (पश्चिम बंगाल), में सेवाओं को, जिसे औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची की मद 25 के अधीन सम्मिलित किया गया है, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया जाए ;

और केन्द्रीय सरकार भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 463 (अ), तारीख 30 जनवरी, 2020 द्वारा अंतिम रूप से, तारीख 30 जनवरी, 2020 से छह मास तक की कालावधि के लिए उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में छह मास की अवधि के लिए उक्त उद्योग को लोक उपयोगी सेवा की प्रास्थिति का विस्तार करना अपेक्षित है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14), की धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (vi) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त उद्योग में लगी हुई सेवाओं को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास की अवधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[फा. सं.एस-11017/2/96-आईआर(पीएल)]

कल्पना राजसिंहोत, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT
NOTIFICATION

New Delhi, the 29th January, 2021

S.O. 445(E).—Whereas the Central Government is satisfied that the public interest so requires that the services in the Bhartiya Reserve Bank Note Mudran (P) Limited, Mysore (Karnataka) and Salboni (West Bengal), which is covered under item 25 of the First Schedule to the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), to be a public utility service for the purposes of the said Act;

And whereas the Central Government has lastly declared the said industry to be public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months with effect from the 30th January, 2020 *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment number S.O. 463(E), dated 30th January, 2020;

And whereas the Central Government is of the opinion that public interest requires the extension of the public utility service status to the said industry for a period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the services in the said industry to be a public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months with effect from the date of publication of this notification.

[F.No. S-11017/2/96-IR (PL)]

KALPANA RAJSINGHOT, Jt. Secy.